कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 2070 /XXV-31/2026 देहरादून दिनांक 16 नवम्बर, 2026

अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के अन्तर्गत दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ 13 नवम्बर, 2026, अपराह्न 03:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित रहे :–

1. श्री श्याम बाबू, प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी।
2. श्री सतेन्द्र चोपड़ा, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
3. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
4. श्री राजकुमार पुरोहित, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
5. श्री अरविन्द कुमार जैन, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
6. श्री अनन्त आकाश, प्रतिनिधि, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी)।
7. श्री अमेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
8. श्री रितेश जोशी, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।

बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित सूचनाएं एवं सामग्री उपलब्ध कराई गईः

1. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के अन्तर्गत आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रस्तुतिकरण।
2. अन्तिम प्रकाशन एवं आलेख्य प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण (कुल 02 पृष्ठ)।
3. दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की 12,498 मतदेय स्थलों की आलेख्य निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में।
4. 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सर्विस निर्वाचक नामावली की आलेख्य प्रति की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में।
5. सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदेय स्थलवार सूची की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में।

बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 की प्रक्रिया, आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन एवं आगामी कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है। राज्य में दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जा चुका है।

आलेख्य निर्वाचक नामावली में 72,78,035 सामान्य मतदाता है, 37,93,373 पुरुष, 34,84,447 महिला तथा 215 तृतीय लिंग के मतदाता सम्मिलित हैं। इसके अतरिक्त प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की संख्या 86,028 है। जिसमें 83,352 पुरुष एवं 2,676 महिला शामिल हैं। वर्तमान में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 12498 हो गई है। बैठक में अवगत कराया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में राज्य में 4 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान संपादित किया गया। इस अभियान में 125216 मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए गए जबकि 6130 मतदाताओं के फार्म 7 प्राप्त होने पर विधिवत निस्तारित किए गए।

बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वह अपने दल द्वारा नियुक्त बीएलए के माध्यम से वर्तमान निर्वाचक नामावली में 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर किसी पात्र मतदाता का नाम सम्मिलित अथवा वर्तमान नामावली में किसी प्रविष्टि में संशोधन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित मतदाताओं को जागरूक करें तथा निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा प्रविष्टि में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित मतदाता से फार्म–8 भरवाकर आवश्यक संशोधन कराने में सहयोग प्रदान करें यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।

बैठक में अवगत कराया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान छुटे हुए मतदाताओं तथा पात्र नागरिकों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 21 नवम्बर एवं 28 नवम्बर, 2026 को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे पात्र नागरिकों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित करें तथा विशेष अभियान दिवसों के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करें।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को फार्म–7 के माध्यम से प्राप्त होने वाले विलोपन संबंधी आवेदनों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों से अवगत कराया गया।

1. आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन से पूर्व BLA द्वारा BLO को प्रतिदिन अधिकतम 50 फार्म–7 प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
2. आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के उपरान्त BLA द्वारा BLO को प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म–7 प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
3. किसी एक व्यक्ति द्वारा अनेक ऐसे व्यक्तियों की ओर से, जो एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, सामूहिक आवेदन प्रस्तुत करना प्रतिबंधित है। एक ही लिफाफे में अनेक व्यक्तियों के आवेदन प्रस्तुत करना भी बल्क आवेदन की श्रेणी में आएगा।
4. यदि किसी मतदेय स्थल पर कुल मतदाताओं की संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक विलोपन के आवेदन प्राप्त होते हैं अथवा एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा 05 से अधिक प्रकरणों में आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे मामलों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया जाएगा।
5. निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन के दौरान एक मतदाता द्वारा अधिकतम 05 फार्म–7 प्रतिमाह तथा दावे एवं आपत्तियों की सम्पूर्ण अवधि में अधिकतम 10 फार्म–7 प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

बैठक में अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों अर्थात् 01 अप्रैल, 2027, 01 जुलाई, 2027 एवं 01 अक्टूबर, 2027 के आधार पर भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पर यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान पुनरीक्षण चक्र में केवल 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के संदर्भ में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का ही निस्तारण किया जाएगा। आगामी अर्हता तिथियों के संदर्भ में प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही में निर्धारित नियमानुसार किया जाएगा।

बैठक में अवगत कराया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनैतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं एवं अभिलेख साझा किए जाएंगेः

- आलेख्य निर्वाचक नामावली की प्रति।
- फार्म–9, 10, 11, 11A एवं 11B के अन्तर्गत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की मुद्रित सूचियां साप्ताहिक आधार पर।
- दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण से संबंधित जानकारी।
- अन्तिम निर्वाचक नामावली की प्रति।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अन्तर्गत उपलब्ध अपील की वैधानिक व्यवस्था से भी अवगत कराया गया। अवगत कराया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा Manual on Electoral Rolls, 2023 के प्रासंगिक अध्यायों की प्रतियां दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 को आयोजित बैठक में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जनपदों में मतदाताओं की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया। इस पर अवगत कराया गया कि राज्य के सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्र (District Contact Centre-DCC) पूर्व से संचालित हैं। मतदाताओं को निर्वाचक नामावली एवं पुनरीक्षण संबंधी जानकारी तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु उक्त केन्द्रों का प्रभावी संचालन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अनुरोध किया गया। साथ ही, निर्वाचक नामावली की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराने में राजनैतिक दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बैठक का धन्यवाद के साथ समापन किया गया।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–2070 / XXV-31/2026 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के अन्तर्गत दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के संबंध में दिनांक 13 नवम्बर, 2026 को अपरान्ह 03:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

उपस्थित प्रतिनिधियों को निम्न सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध करायी गयी :–

1. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत आलेख्य प्रकाशन से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण
2. अन्तिम प्रकाशन एवं आलेख्यपर मतदाताओं का विधान सभावार विवरण कुल 02 पेज।
3. 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 12498 मतेदय स्थलों की आलेख्य निर्वाचक नामावली की Without Image PDF पैन ड्राइव में।
4. 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सर्विस निर्वाचक नामावली की आलेख्य निर्वाचक नामावली की PDF पैन ड्राइव में।
5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की सूची की PDF पैन ड्राइव में।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति/ प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर
1	Arvind K. Jain	B.J.P.	9829508534		
2	Raj Kumar Purohit	B.J.P.	9412976332		
3	[illegible]	CPIM	9410365[illegible]		
4	श्यामबाबू पाण्डेय	AAP	9411110685	shyambabu17@gmail.com	
5	[illegible]	B.S.P.	9368689368		
6	Ritesh Jaiswal	Congress	9837311515	riteshjaiswal32@gmail.com	
7	अमेन्द्र बिष्ट	INC	8979132677	amendrabisht@gmail.com	
8	~~[illegible]~~	BJP			
9	सत्यपाल	B.S.P	9412059184		
10					
11					
12					
13					
14					